न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—138/2020 (2020/00293) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गंगाराम पिता भैरा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—लालाराम पिता जोधा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—देउ पत्नि लालाराम गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मांगी पत्नि जोधा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—नैना पिता जोधा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—ग्राम पंचायत बागड़ जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बागड़ तहसील रायपुर
6—पारस पिता जोधा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—नारायण पिता जोधा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—लेहरू पिता अमरा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—दुदा पिता अमरा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—पारस पिता लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—बंशीलाल पिता लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—संतोकी पत्नि लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—बद्री पिता रूपा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—मीना पुत्री लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15—सीता पुत्री लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
16—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
17—मांगु पिता भूरा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन, पुनमनाथ — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—01.06.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, एवं सहायक रजिस्ट्रार राष्ट्रीय मावनाधिकार आयोग नई दिल्ली को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को आजिविका अ[illegible] आराजियात को हड़पने एवं कई वर्षो से कृषि आराजियात पर जाने वाले एकमात्र [illegible] विपक्षीगण द्वारा अवरूद्व किया जाने से कार्यवाही करावे। उक्त प्रार्थना [illegible] मान [illegible] मजिस्ट्रेट महोदय भीलवाड़ा के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की जांच [illegible] हेतु दिनांक 06.0[illegible]0 को जिला पुलिस अधिक्षक भीलवाड़ा एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायपुर को लिखा गया प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की जांच तहसीलदार रायपुर से करवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:51 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अकिंत किया कि प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 277, 278, 284, 285 पर पहुँचने के लिये खसरा नम्बर 407 किस्म गै.मु. रास्ता चारागाह से होकर आगे खातेदारी खसरा नम्बर 209, 216 से होकर आवागमन करता था किन्तु उक्त दोनो खसरा नम्बर के खातेदार द्वारा पत्थर की दीवार कर देने से प्रार्थी का आवागमन बन्द हो गया।

न्यायहित को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण धारा 251ए के तहत् दिनांक 20.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता पुनमनाथ व जाकिर हुसैन द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि विपक्षी की आराजियात में होकर प्रार्थी की आराजियात में आवागमन का कोई रास्ता विद्यमान नही है और न ही आवगमन किया है। प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात में मांगु आत्मज भुरा गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा की खातेदारी आराजी 323, 324, 325 और 326 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे होकर आराजी संख्या 289, 311, 312, 313 एवं अन्य आराजियात में प्रवेश करता रहा है और प्रार्थी इसी रास्ते से होकर फसल काश्त करता रहा है। प्रार्थी जबरन विपक्षीगण की आराजी में होकर आवागमन करना चाहता है। विपक्षीगण ने प्रार्थी को जाति समाज से बहिष्कार करने एवं प्रार्थी के परिवार की महिलाओं की लज्जा भंग करने का कोई प्रयास नही किया है। न्यायालय श्रीमान में पारस गुर्जर व अन्य द्वारा मांगु गुर्जर व अन्य के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 63/2017 दर्ज होकर न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनवाई करते हुए विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 209 व 216 किस्म रास्ता दर्ज होने एवं मौके पर उक्त रास्ते का उपयोग में नही आना अकिंत करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया गया जिसे आवागमन किया जा सकता है। प्रार्थी विपक्षीगण को नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और झुठी झुठी शिकायते करता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारीज फरमाया जावे।

इसी के साथ अन्य विपक्षीगण के द्वारा भी जवाब पेश किया गया जिसमें अकिंत किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात में व विपक्षी की कृषि आराजियात संख्या 217, 218, 219, 291 व 211, 216, 214, 215, 220 व अन्य आराजियात में आवागमन का एक मात्र कदीमी रास्ता पूर्वजो के समय से मांगु पिता भुरा गुर्जर की आराजी संख्या 323, 324, 325, 326 में होकर जाता है तथा इसी रास्ते को प्रार्थी व विपक्षीगण भी अपने पूर्वजो के समय से उपभोग उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी व विपक्षी मांगु की भूमि [illegible] आवागमन कर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी की पत्नि के साथ किसी ने लज्जा भंग की ओर न ही समाज से बहिस्कृत किया। अगर इस प्रकार की घटना घटित होती तो प्रार्थी के विरूद्व फौजदारी प्रकरण दर्ज कराता जो कोई प्रकरण नही है। प्रार्थी ने मांगु गुर्जर के साथ मिलकर प्रशासन को गुमराह करने की नियत से बढ़ाचढ़ा कर मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि आराजी संख्या 209, 216 में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी व विपक्षीगण एक ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:51 IST
Reason: SelfAttested

परिवार के सदस्य है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की आराजी संख्या 209, 216 में चाहा गया रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता नही है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 63/2017 में विपक्षीगण को मांगु गुर्जर की आराजी संख्या 324, 325, 326 में रास्ता दिया है उसी रास्ते से प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात में आवागमन कर रहे है। प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी संख्या 218 में होकर आवागमन करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत, झुठा एवं मनगंढ़त होने से खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण वर्तमान में आराजी संख्या 407 में बने रास्ते के पास स्थित आबादी मे निवास कर रहे है और मकान भी पास पास होकर सटमा है। प्रार्थी अपनी आरायिजात में आवागमन के रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। आराजी संख्या 217, 218, 219 व अन्य आराजियात विपक्षी के शामलाती दर्ज रेकार्ड है और आराजी संख्या 276 गै.मु. आचा जो प्रार्थी व अन्य खातेदारो के शामलाती है जिसमें इसी रास्ते से आवागमन करते है। प्रार्थी व विपक्षीगण खातेदारो की आराजी संख्या 209 व 216 के रकबे की रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाली भूमि का नियमानुसार मुआवजा देने को तैयार है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 209 व 216 आराजी संख्या 407 से लगती हुई होकर राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज है इसी से प्रार्थी अपनी आराजियात में कई वर्षो से आवागमन कर रहा है किन्तु विपक्षी द्वारा रास्ता बन्द कर देने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी व विपक्षी एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी मांगु के साथ मिल कर जानबुझ कर परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी मांगु की खातेदारी भूमि से ही आवागमन कर रहा है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा अन्य प्रकरण पारस बनाम मांगु प्रकरण संख्या 63/17 निर्णय दिनांक 13.02.2020 से आराजी संख्या 384 से आराजी संख्या 323, 324, 325, 326 में दिये गये रास्ते से आवागमन कर सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारीज फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण वर्तमान में [illegible] आबादी आराजी संख्या 407 के पास निवास कर रहे है और निवास से आराजी [illegible] 07 से होते हुए आगे विपक्षीगण की आराजी संख्या 209, 216 में बने हुए [illegible] अपनी [illegible] आराजियात में आवागमन करते रहे है और मौके पर दौराने भूप्रबन्ध रास्ता [illegible] भू प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी संख्या 209 और 216 को रास्ते के रूप में दर्शाया जाकर [illegible]राजी संख्या 209 रकबा 0.09 है मे से 0.05 है0 एवं आराजी संख्या 216 रकबा 0.05 है0 मे से 0.03 है0 भूमि किस्म रास्ते के रूप में दर्ज रेकार्ड की है जिससे प्रार्थी इन्ही आराजियात में होकर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:51 IST
Reason: SelfAttested

करने के कथन को बल मिलता है। विपक्षीगण के द्वारा आराजी संख्या 323, 324, 325, 326 में प्रार्थी एवं विपक्षीगणो के पूर्वज अगर इसी रास्ते से आवागमन करते थे तो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू प्रबन्ध राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 209, 216 में किस्म रास्ता दर्ज है उस अनुसार इन आराजियात में भी किस्म रास्ता दर्ज किया जाता था किन्तु मौका स्थिति के दौरान रास्ते जैसी स्थिति नही होने से किस्म रास्ता दर्ज नही हुआ है जिससे विपक्षीगण के कथन को बल नही मिलता है। जहां तक इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णित प्रकरण 63 / 17 पारस बनाम मांगु में दिनांक 13.02.2020 को निर्णय पारित किया गया उसमें प्रार्थी पारस वगैरा द्वारा आराजी संख्या 291 एवं अन्य आराजियात में आवागमन हेतु आवेदन किया गया था प्रार्थीगण झलामली के मजरा केसरपुरा की आबादी में निवासरत होने से उस अनुसार न्यूनतम दुरी को एवं प्रार्थीगण के निवास स्थान को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया जो प्रार्थी की आराजियात से लगता हुआ नही होकर अलग है। प्रार्थी आराजी संख्या 408 की आबादी के आस–पास निवासरत होने से अपने घर से अपनी कृषि आराजियात संख्या 277, 278, 284, 285 में पहुचने का एकमात्र रास्ता आराजी संख्या 407 से लगती हुई आराजी संख्या 209 व 216 ही एक मात्र विकल्प है। राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में भी उक्त दोनो आरायिजात को रास्ते के रूप में दर्शा रखी है।

उपरोक्त विवरण अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि हर खातेदार अपनी कृषि आराजियात में आवागमन पड़ोसी व अन्य खातेदारी भूमि या मेड़ पाली या रास्ते की भूमियां हो तो उसी से आवागमन करते है उसी अनुसार इस प्रकरण में भी प्रार्थी आराजी संख्या 209 व 216 में जो रकबा राजस्व रेकार्ड में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किस्म रास्ते के रूप में दर्ज कर रखा है उसमें होकर आवागमन करता है जिसे विपक्षीगण द्वारा बन्द कर देने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झलामली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी सख्या 277, 278, 284, 285, में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 209 रकबा 0.09 हैक्टयर में से 0.05 है0 व आराजी नम्बर 216 रकबा 0.05 हैक्टयर में से 0.03 हैक्ट भूमि जिसकी डीएलसी दर 58000 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 21472 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने 42944 रूपये मुआवजा राशि बनती है। जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी सम्बन्धित खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को अमलनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:51 IST
Reason: SelfAttested

01/06/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखंण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—138 / 2020 (2020 / 00293) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गंगाराम पिता भैरा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—लालाराम पिता जोधा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—देउ पत्नि लालाराम गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मांगी पत्नि जोधा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—नैना पिता जोधा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—ग्राम पंचायत बागड़ जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बागड़ तहसील रायपुर
6—पारस पिता जोधा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—नारायण पिता जोधा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—लेहरू पिता अमरा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—दुदा पिता अमरा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—पारस पिता लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—बंशीलाल पिता लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—संतोकी पत्नि लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—बद्री पिता रूपा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—मीना पुत्री लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15—सीता पुत्री लक्ष्मण गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
16—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
17—मांगु पिता भूरा गुजर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झलामली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी सख्या 277, 278, 284, 285 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 209 रकबा 0.09 हैक्टयर में से 0.05 है0 व आराजी नम्बर 216 रकबा 0.05 हैक्टयर में से 0.03 हैक्ट भूमि जिसकी डीएलसी दर 58000 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 21472 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने 42944 रूपये मुआवजा राशि बनती है। जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी सम्बंधित खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि बिलान करके मुरास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:51 IST
Reason: SelfAttested

01/06/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा